SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 20	Complaint or report madeon
Name and addres	ss of the Complainant
	Name, parentage, caste and address of accused
Party minus!	ज्यारांह ५/० भागीरथ द्वावाह
	37-46 Far. 018 50 16 511EG
	The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आधिपत्य में	
	क्या आपको उक्त अपराध रवीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
	Ly deal
	The plan of the accused and his examination (if any)
अपराध रवीकॉर है।	न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
SHALL HERE OF	न्याव है उद्यावन के स्वाप के स
The offence proved	If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub-section 260 the value of

the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय//

(आज दिनांक 25/1/18 को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. सिंदार विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक खीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराएं जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये डिक्ट्रे-शब्दों में जिन्म मी र-प्रेम रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर साट दिन्द का साधारण कारावास की सजा मुगतायी जावे।
- 04 जप्तशुदा सम्पत्ति 02 लीटर/पाव/बोतल १० प्राचि शराब मूल्यहीन एव मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का

मेरे निर्देश गाय ए है कि ते का